न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः पर्वत सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 46/2013

उनवान मुकदमा

1. कालु पिता श्री बारजी चारेल ,जाति भील ,उम्र वयस्क,निवासी आबापुरा तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
2. शम्भु पिता श्री रकमा चारेल,जाति भील ,उम्र वयस्क,निवासी आबापुरा तहसील व जिला बांसवाडा(राज.)

वादीगण

बनाम

1. कालिया पिता श्री जोखना चारेल,जाति भील,उम्र वयस्क,निवासी आबापुरा,तहसील व जिला बांसवाडा(राज)
2. तहसीलदार बांसवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,209 आर.टी.एक्ट

निर्णय

अभिभाषक :–

1 श्री मुकेश द्विवेदी वादी की तरफ से

दिनांक :– 23.12.2019

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 ,209 राज.काश्तकारी अधिनियम के प्रस्तुत कर कथन किया की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त कब्जे काश्त की खाता संख्या 09 (नया) ,11–12 (पुराना) के खसरा नम्बर 13 रकबा 08 बिस्वा,खसरा नम्बर 14 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा,खसरा नम्बर 15 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा ,खसरा नम्बर 16 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 17 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 55 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा,खसरा नम्बर 56 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 60 रकबा 13बिस्व,खसरा नम्ब्र 65 रकबा 03 बीघा 11 बीस्वा, खसरा नम्बर 155 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 156 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 158 रकबा 09 बिस्वा एवं खसरा नम्ब्र 189 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरा 11 कुल रकबा 31 बीघा,कुल लगान 18. 50 पैसा,वाके आबापुरा,पटवार क्षेत्र आबापुरा तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित है जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे है एवं राज्य सरकार मे लगान अदा करे रहे है। वादग्रस्त भूमि पैतृक है, तथा वादग्रस्त कृषि भूमि को जोखना के लडके बारजी व कालिया ने अपने पिता के जीवनकाल से ही सहखातेदार के रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.10.23 12:01:18 IST
Reason: Self Attested

में काश्त की है तथा बारजी की मृत्यु के बाद वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 के पिता कालिया के साथ काश्त करते चले आ रहे है एवं वादी संख्या 2 के पिता रकमा के फौत हो जाने के बाद उक्त खाता संख्या 09(नया), 11–12(पुराना) के खसरा नम्बर 13 रकबा 08 बिस्वा,खसरा नम्बर 14 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा ,खसरा नम्बर 15 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा,खसरा नम्बर 16 रकबा 03 बिस्वा,खसरा नमबर 17 रकबा 07 बिस्वा,खसरा नम्बर 55 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा ,खसरा नम्बर 56 रकबा 08 बिस्वा,खसरा नम्बर 60 रकबा 13 बिस्वा,खसरा नम्बर 65 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा,खसरा नम्बर 155 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा,खसरा नम्बर 156 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा,खसरा नम्बर 158 रकबा 09 बिस्वा,खसरा नम्बर 189 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कुल खेत 13 कुल रकबा 31 बीघा ,कुल लगान 18.50 पैसा वाके आबापुरा,पटवार क्षेत्र आबापुरा तहसील व जिला बांसवाडा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का अन्य पैत्रक खाता में मूल खातेदार जोखना पिता रूपा के देहावसान के बाद बारजी व कालिया के नाम 1/2–1/2 भाग हो गया, लेकिन वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से ही राजस्व रेकार्ड में प्रविष्ठीयॉ दर्ज है, जबकि वादीगण का उक्त खाता पैतृक है ,लेकिन वादीगण के दादा बारजी व प्रतिवादी संख्या 1 का भाई का देहवसान होने जाने से प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि अपनी बताकर काश्त करने में बाधा व रूकावट पैदा करते है और आये दिन झगडा–फसाद करते है ।

वादीगणों ने अपने वाद पत्र में वंशावली भी बनाकर प्रस्तुत की तथा वादग्रस्त भूमि में अपना आधा हिस्सा वंशावली अनुसार खातेदारी घोषणा चाही । साथ ही कथन किया की उक्त वादग्रस्त नया खाता संख्या 9 ग्रम आंबापुरा,पटवार क्षैत्र आंबापुरा ,तहसील बांसवाडा की भूमियों को प्रतिवादी संख्या 1 कालीया खूर्द बूर्द करने को आमादा है । प्रतिवादी संख्या एक वादी को अपने काश्त करने के अधिकार में बाधा उत्पन्न करता है, झगडा फसाद करता है तथा अधिकारों के उपयोग में रूकावट उत्पन्न करता है । अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगणों को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा 1/2–1/2 भाग में विभाजीत किया जावे तथा उसी अनुपात में लगान का विभाजन कर डिक्री फरमावे व प्रतिवादी संख्या 2 को तद्नुसार डिक्री अनुसार पालना हेतू आदेशित करावे ।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 बाद तामील भी उपस्थित नहीं आए । प्रतिवादी संख्या 2 ने भी कोई प्रतिउत्तर नही प्रस्तुत किया । प्रतिवादी के विरूध बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से न्यायालय ने दिनांक 16.02.2015 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.10.23 12:01:18 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली को साक्ष्य वादी में रखी गई लेकिन वादी ने भी केवल वादी संख्या एक कालु पिता बारजी ने लिखित शपथ पत्र पेश किया, वादी संख्या 2 ने साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया न ही अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत की, कालु ने अपनी साक्ष्य के साथ नकल जमाबन्दी ग्रम आबापुरा नया खाता संख्या 195 संवत 2070–73 व नकल जमाबन्दी नया

खाता संख्या 19 ग्राम आबापुरा की संवत् 2070–73 प्रस्तुत की जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

प्रकरण में वादी ने वाद पत्र के साथ नकल जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्रम आबापुरा संवत 2035 से 2038, जमाबन्दी खाता संख्या 90 संवत2052–2055 जमाबन्दी खाता संख्या 139 सवंत 2052–55 , भू प्रबन्ध विभाग का खसरा परिशोधन का प्रपत्र संवत 2039 नामान्तरण संख्या 69 दिनांक 26.05.1991, जमाबन्दी खाता संख्या 52 व 62 संवत 2035 से 2038 ,जमाबन्दी खाता संख्या 78 संवत 2052–55 ,जमाबन्दी खाता संख्या 9 संवत् 2066–69,नामान्तरण संख्या 77 दिनांक 29.05.1984 प्रस्तुत की थी, जो समस्त शामिल पत्रावली है ।

वाद में बहस समायत की गई । एक माह में निर्णय नही लिखा जा पाने से मजीद बहस दिनांक 23.12.2019 को समायत की गई । अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र में दिये गये कथनों को ही दोहराया तथा कथन किया की वाद पत्र के कलम संख्या 1 में दी गई भूमि पेतृक है तथा मूल पुरूष जोखना के नाम से दर्ज थी, कुल 13 खेत थे तथा जोखना के दो पुत्र बारजी व कालीया थे । बारजी के दो पुत्र रकमा व कालू थे । बारजी व रकमा फौत हो चुके है । कालू व शम्भू हम दोनों वादी है । उक्त वादग्रस्त भूमि जोखना के फौत होने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 कालीया के नाम ही दर्ज हो गई जबकि बारजी भी कालीया का भाई था, अतः उसके भी नाम दर्ज होनी चाहिये थी क्योकि कालीया व बारजी दोनो भाई थे अतः दोनों सहखातेदार होकर वादग्रस्त भूमि पर कब्जे काश्त थे तथा आज तक वादी कब्जे काश्त आधे हिस्से पर है, तथा खेती कर रहे है । भूमि में वादीयों का नाम नही होने से अब प्रतिवादी संख्या 1 की नियत में खोट आ गया है तथा हमे हमारी पुश्तेनी हक की खातेदारी भूमि , कब्जे काश्त की भूमि में बेदखल कर खूर्द बूर्द करने को आमादा है तथा खेती में रूकावट पैदा करता है । अतः हमें खातेदार घोषित कर अलग–अलग बॅटवाडा कर दिया जावे जिसमें मौके पर कोई विवाद न हो ,मौके पर हमारे मकान भी बने हुए है ।

मैने बहस में दिये गये तथ्यो ,वाद पत्र में दिये गये तथ्यो, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों,वादी संख्या 1 के साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्र में दिये गये तथ्यो पर गंभीरता पूर्वक मनन व अवलोकन किया । वादी ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है, उनमें दस्तावेजो की निरन्तरता का अभाव पाया गया है । अर्थात जमाबन्दी संवत् 2035 –2038 से वर्तमान तक की खाता जमाबन्दी नकल नहीं होकर भिन्न–भिन्न की खाता जमाबन्दी नकल प्रस्तुत की है । अतः "chain of document" पूर्ण नही है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.10.23 12:01:18 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी संख्या 1 की साक्ष्य, पत्रावली में मौजूद दस्तावेजो, बहस में दिये गये तथ्यों के आधार पर इस नतीजे पर पहुचा हूँ कि पैतृक कोष भूमि जो बटवाडा में मिली है उसके अलावा प्रतिवादी की स्वंय की भूमि में अपना हिस्सा मानकर प्रतिवादी संख्या 1 के साथ राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का वाद पेश किया है । वादीगण प्रतिवादी की भूमि को

पेतृक 42 बीधा 1 बिस्वा कुल खसरा किता 24 खसरा नंबरान की 42.1 बीस्वा भूमि थी, वादी के पिता बारजी व कालिया पिता जोखना के बीच 1/2 – 1/2 के संयुक्त खाते के बटवारा अनुसार बारजी को 1/4 खसरा नंबर 9 रकबा 1.06, खसरा नंबर 12 रकबा 1.10 बीघा कुल 2 किता रकबा 2.16 व कालिया पिता जोखना के नाम खसरा नंबर 13 रकबा 0.08 , खसरा नंबर 14 रकबा 1.07 बीघा खसरा नंबर 15 रकबा 12.12 बीघा, खसरा 16 रकबा 0.03 , खसरा 17 रकबा 0.07 ,खसरा नंबर 155 रकबा 1.18 बीघा व खसरा नंबर 189 रकबा 1.13 बीघा कुल किता 7 रकबा 18.08 बीघा व लालू पिता रूपा को 1/2 भाग कुल किता 15 रकबा 20.17 बीघा बटवारा खसरा परिशोधन पत्र संवत 2039 के अनुसार विभाजीत हुई है । इसके अलवा कालिया पिता जोखना के स्वंय के खाते की अन्य भूमि खसरा नंबर 55 रकबा 1.03 , खसरा नंबर 56 रकबा 0.08 बीघा, खसरा नंबर 60 रकबा 0.13 बीघा, खसरा नंबर 65 रकबा 3.11 बीघा ,खसरा नंबर 156 रकबा 6.08 बीघा एवं खसरा नंबर 158 रकबा 0.09 बीघा स्वंय के खाते की है । जिसे भी वादी अपनी पेतृक बताकर बटवाडा कराना चाहता है, न्यायसंगत नही है, तथा दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित भी नही होता है । अतः सहखातेदार बनने का वाद अस्वीकारणीय है ।

आदेश

सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर आदेश जारी किया जाता है की ग्रम वाके ऑबापुरा पटवार क्षैत्र आंबापुरा , तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा मे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का पेतृक खाता में मूल खातेदार जोखना पिता रूपा के देहवसान के बाद बारजी व कालिया के नाम से 1/2–1/2 भाग बराबर बराबर किया है ,वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की पूर्व की भूमि व पेतृक भूमि को वादीगण पैतृक रूप में समझ कर वाद प्रस्तुत किया है, जो काबिले निरस्ती के है। अगर पेतृक बटवारे में नाम जब लिखा गया उस समय ही वादीगण को नामान्तरकरण की अपील कर अनुतोष प्राप्त कर लेना चाहीये था जो नही कर वादीगण की स्वंय की भूमि को पेतृक बता कर हिस्सा चाहते है , जो प्रमाणित करने में वादीगण विफल रहे है अतः वादीगण के वाद में चाहे गये अनुतोष को प्रमाणित नही पाये जाने से वाद खारिज किया जाता है ।निर्णय खुले इजलास न्यायालय सुनाया गया ।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबरान से कम हो ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.10.23 12:01:18 IST
Reason: SelfAttested

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2019.12.27 18:07:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: